संख्या-33/2015/1466/60-2-15-2/13(57)/03 टी.सी.

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 17 जून, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 की आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु पी0एल0ए0 में रखी धनराशि आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-381/बा0वि0परि0/स0ग्रा0वि0यो0/2015-16, दिनांक 26 मई, 2015 के क्रम में अवगत कराना है कि आईसीडीएस योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-648/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा स्वीकृत कर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 में धनराशि रूपये 160.60 करोड़ (रूपये एक अरब साठ करोड़ साठ लाख मात्र) रखी गयी थी।

2. उक्त के सापेक्ष रूपये 57.3450 करोड़ (रूपये सत्तावन करोड़ चौतीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-1181/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 06 जून, 2014, रूपये 34.8002 करोड़ (रूपये चौंतीस करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-1181/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 23 फरवरी, 2015 एवं रूपये 12.605150 करोड़ (रूपये बारह करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-16/2015/880/60-2-15-2/13(57)/03 टी.सी. दिनांक 30.03.2015 द्वारा निर्गत की गयी है, किन्तु आपके पत्र 15.04.2015, 11 मई, 2015 एवं 26 मई, 2015 द्वारा उक्त धनराशि रूपये 12.605150 करोड़ के पी0एल0ए0 से आहरित न हो पाने की सूचना दी गयी है तथा कोषागार कलेक्ट्रेट द्वारा निर्गत अभुगतान प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2015 उपलब्ध कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि को पुन: आहरित किये जाने की स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-648/60-2-14-2/13(57)/03 टी.सी., दिनांक 30 मार्च, 2014 द्वारा पी0एल0ए0 में रक्षित धनराशि रूपये 160.60 करोड़ में से शासनादेश संख्या-16/2015/880/60-2-15-2/13(57)/03 टी.सी. दिनांक 30.03.2015 द्वारा धनराशि रूपये 12.605150 करोड़ (रूपये बारह करोड़ साठ लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र) के आहरण की अनुमति दी गयी जो प्रस्तर-2 के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में आहरित नहीं हो सकी, को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में समाज कल्याण निर्माण निगम के पी0एल0ए0 से आहरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.15 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-3-821/दस-2015, दिनांक 10 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

संख्या-33/2015/1466(1)/60-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. सम्बन्धित, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
7. राज्य योजना आयोग-1।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in